16. दर्शन लाल सुपुत्र लाभा राम, निवासी करनाल ।

17. मलकियत सिंह सुपुत्र बाबू सिंह जाट, निवासी शाहपुर, थाना कुराली, जिला रोपड़ ।

18. जसपाल सिंह रूबी, सुपुत्र वेद प्रकाश, निवासी आनन्दपुर साहिब, थाना आनन्दपुर साहिब ।

19. अमर सिंह, निवासी शेरगढ़, बाड़ा, थाना बास्सी पठाण, जिला पटियाला ।

20. हरचन्द सिंह निवासी पठाण, जिला पटियाला ।

21. प्रकाश चंद सुपुत्र अयोध्या मल महाजन, निवासी खनौरी, थाना पट्टरण, जिला पटियाला ।

**असम**

1. श्री एस० के० तिवारी
2. श्री लोहित दास
3. श्री रजनी दास
4. श्री सी० आर० मोहन्ती
5. श्री कृष्ण लाल
6. श्री शक गुप्ता

**Exchange of militants for release of hostages**

2902. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem under the caption 'Buta Singh proposes, Chavan disposes' which appeared in the Indian Express dated the 25th November, 1991 regarding exchange of militants with hostages; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) Government is aware of the news item in question. However, Home Minister's letter nowhere contained a suggestion regarding exchange of militants with hostages.

**Sale of illicit alcohol products**

2903. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that illicit alcohol products camouflaged as Ayurvedic medicine, are sold freely in areas where prohibition is in force; and

(b) if so, what action Government have taken in this regard and the number of cases booked during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) According to the VII Schedule of the Constitution of India, the subjects 'Public Order' and 'Police' are included in the State list. The registration investigation, detection and prevention of crimes, including sale of illicit alcohol products is the responsibility of the State Governments/Union Territory Administrations

The informaiton regarding the number of cases booked under this category is not compiled and monitored by the Central Government agencies.

**वायुयान से ए० के० 47 राइफलें का बरामद किया जाना**

2904. डा० अबरार अहमद :
श्री जगदीश जानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पहले सुरक्षा कर्मचारियों को सांगानेर विमान पत्तन पर सामान लादे जाने से

पूर्व वायुयान में एक ए०के०-47 राइफल मिली थी और क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा वह राईफल किसकी थी और क्या किसी अधिकारी को इस लापरवाही के लिए दोषी पाया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) 14 अक्तूबर, 91 को जयपुर (सांगानेर) हवाई अड्डे पर आई ए सी फ्लाईट सं० आई०सी०-494 से उतारे गये पंजीकृत सामान में से एक सूटकेस बिना टैग के पाया गया। इस सामान का कोई भी दावेदार नहीं था । सूटकेस की एक्स-रे परीक्षा से पता चला कि इसमें 1 बन्दूक, 2 मैगजीन और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं रखी हुई हैं इसलिए स्थानीय हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उसे अपने कब्जे में ले लिया गया ।

उक्त फ्लाईट पर जोधपुर से दिल्ली यात्रा कर रहे एक मुसाफिर, श्री एस० सिंह ने शिकायत की कि उन्हें अपना सूटकेस नहीं मिला है । उन्होंने घोषित किया कि सूटकेस में ए०के०-47 राइफल, 2 मैगजीन और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं थीं । पालम हवाई अड्डे पर श्री सिंह के सामान के इधर-उधर हो जाने की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि एक मध्यम आकार का भूरे रंग का सूटकेस जिसका टैग नं० 4173201 है बीच ही में उतर गया है । दिल्ली में मिस-हैंडल्ड बैगेज यूनिट ने इस सामान के बारे में 14 अक्तूबर, 91 को जोधपुर और जयपुर के रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के लिए संदेश प्रेषित किये । जयपुर इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली को यह बताते हुए जवाब दिया कि इसी विवरण का एक सूटकेस, जो बिना टैग के था, जयपुर में छोड़ा हुआ पाया गया । इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली से यह पुष्टि मिलने पर कि इस सामान का कोई दावेदार है जिसने सामान का ब्यौरा स्पष्ट रूप से बताया है, जयपुर हवाई अड्डे के स्टेशन-प्रबंधक ने हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों को सामान वापिस लौटाने का अनुरोध किया। हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों ने इस सामान को 15 अक्तूबर, 91 को इंडियन एयरलाइन्स जयपुर को दे दिया जिन्होंने उसके बाद इसे 15 अक्तूबर, 91 को आई सी-494 द्वारा दिल्ली भेज दिया । यह सामान 16 अक्तूबर, 91 को श्री एस० सिंह को दे दिया गया ।

**Absorption of employees engaged in census**

2905. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to absorb the employees presently engaged in census work; and

(b) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) A large number of persons have been engaged on consolidated salary on contract basis for a short period of about 2 years for doing temporary work of compilation and tabulation of Census data. After the work is over, there will be no work to be given to these persons in the Census organisation. Hence, it is not possible to absorb such large number of persons on permanent basis without any work.

**Crimes in Delhi**

2906. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of dacoities, murders and kidnapping/abductions in the capital during the year 1989, 1990 and the current year till date separately; and